

न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर
बड़जलास – श्री मनोज कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 136/2019

अपीलान्ट

बनाम

रेस्पोडेन्ट

चेनसिंह पुत्र भेराराम जाति जाट
निवासी माण्डलजोधा तहसील डेगाना जिला नागौर।

तहसीलदार, डेगाना।

उपस्थिति :-

1. श्री चन्द्रशेखर अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री ओमप्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय


दिनांक: 09.11.2020

[1]-मामलें के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, डेगाना द्वारा धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 67/2019 सरकार बनाम चेनसिंह में निर्णय दिनांक 20.08.2019 के तहत मौजा माण्डलजोधा के खसरा नं. 172 गै.मु. सडक भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर दिनांक 5.11.19 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 18.12.2019 को मियाद के बिन्दु पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया। अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील के समर्थन में निर्णय दिनांक 20.08.19 की फोटोप्रति, नक्शा ट्रेस गत बंदोबस्त की फोटोप्रति, नक्शा संवत् 2005-06 की फोटोप्रति, उपखण्ड अधिकारी डेगाना के पत्र दिनांक 2.8.19 की फोटोप्रति, न्यायालय एसीजेएम डेगाना में प्रस्तुत मौका रिपोर्ट की फोटोप्रति, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डेगाना में तहसीलदार डेगाना द्वारा प्रस्तुत जवाब की फोटोप्रति तथा नजरी नक्शा की फोटोप्रति पेश की गई। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री ओमप्रकाश पूनिया राजकीय वकील उपस्थित हुए।

[2]-उभयपक्ष के वकूलाय की बहस सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक द्वारा मियाद के बिन्दु पर बताया गया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट ने लिखित जवाब दिनांक 20.8.19 को पेश किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जवाब लेकर अपीलान्ट को यही बताया गया कि उनके विरुद्ध कार्यवाही ड्रॉप करने की सूचना दे दी जायेगी व आगामी पेशी के बारे में बाद में पता करने बाबत बताया जिससे अपीलान्ट जवाब पेश करके गांव चला गया। लेकिन बाद में न तो कोई आगामी पेशी की सूचना दी गयी न ही अन्य कोई सूचना अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी व अपीलान्ट को साक्ष्य सबूत का अवसर दिये बिना उसी दिन धोखे में रखते हुए उसकी पीठ पीछे निर्णय जैर अपील पारित कर दिया व उसकी कोई जानकारी अपीलान्ट को नहीं हो सकी, हाल ही में गांव में ऐसी चर्चा सुनने पर अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में जाकर पता किया व नकल का आवेदन पेश करने पर दिनांक 31.10.19 को प्रमाणित प्रतियां प्राप्त होने पर सर्वप्रथम इस निर्णय की जानकारी हुई। फिर दिनांक 1.11.19 को जानकारों से पूछने पर अपील की राय मिलने पर उसी दिन तुरंत नागौर आकर अधिवक्ता नियुक्त कर सारे हालात बताकर सांय तक अपील तैयार करवायी तत्पश्चात दिनांक 2 व 3.11.19 को सरकारी अवकाश होने से बिना किसी देरी के अपील दिनांक 4.11.19 को प्रस्तुत की गई। जिससे न्याय हित में अंदर मियाद शुमार करना न्याय संगत है। जिसका राजकीय वकील द्वारा विरोध नहीं किया गया है। अतः मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुए अपीलान्ट की अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। वकील अपीलान्ट ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि-

[2](I)-अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय जैर अपील कतई गलत, विधि विरुद्ध व बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये पारित किया होने से खारिज किये जाने योग्य है।

[2](II)-अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में जवाब पेश करते हुए यह स्पष्ट कर दिया कि राजस्व गांव माण्डल जोधा में स्थित डामर सडक निर्माण से पूर्व कटाणी मार्ग जिसके पुराने खसरा नं. 183 है एवं



इसके विपते ही अपीलांट का पुश्तेनी खेत खसरा नं. 179 रकबा 19 बीघा 2 बिस्वा आया हुआ है तथा सन् 1974 में पटवारी उक्त कटाणी मार्ग जिसके साथ संलग्न नजरी नक्शा में उक्त कटाणी मार्ग खसरा नं. 183 दर्शाया हुआ है। जिसकी छाया प्रति भी अधीनस्थ न्यायालय में पेश की गयी व निवेदन किया कि साथ ही कलेक्ट्रेट कार्यालय नागौर से जारी मोमी ट्रेस नक्शा की छाया प्रति भी पेश की थी। जिन दोनों में किसी प्रकार की भिन्नता नहीं है। सन् 1975 में अकाल राहत के तहत उक्त कटाणी मार्ग खसरा नं. 183 पर ही ग्रेवल सड़क का निर्माण करवाया गया तब बाजिया परिवार के पूर्वजों के खेत खसरा नं. 179 के पास मोड़ होने के कारण उक्त कटाणी मार्ग को छोड़कर बाजिया परिवार के पुश्तेनी खेत में से बिना किसी अधिग्रहण की कार्यवाही किये सड़क बना दी एवं उक्त खेत रकबा 19 बीघा 2 बिस्वा में से सड़क सीमा में आयी जमीन 3 बीघा 15 बिस्वा कम कर दी। भू प्रबंध विभाग द्वारा नये सेटलमेंट तक उक्त सड़क जो पुराने कटाणी मार्ग पर ही आज दिन तक बनी हुई होते हुए भी नया नजरी नक्शा बनाया गया है। जिसके पुराने कटाणी मार्ग 183 को राजस्व रेकॉर्ड में यथावत तथा उसके पेररल नई सड़क नक्शा में दिखाई है। जबकि वास्तविक स्थिति तो मौके पर यह है कि सड़क पुराने रास्ते पर खसरा नं. 183 पर ही मौजूद समय में बनी हुई है। इस प्रकार रास्ते पर अवरोध का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। रास्ता डामर सड़क के रूप में आज दिन मौजूद है व निर्बाध रूप से चालू है। इसके बावजूद पटवारी ने व्यक्ति विशेष को नाजायज तंग परेशान करने के लिये बिना अतिक्रमण हुए मिथ्या रिपोर्ट पेश कर कार्यवाही करवायी है व अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष संपूर्ण स्थिति स्पष्ट कर देने के बावजूद वास्तविक स्थिति बाबत अपने स्तर पर किसी प्रकार की जांच किये बिना सरसरी तौर पर ही निर्णय जैर अपील पारित करने में विधिक त्रुटि की है।

{2}(III)—माननीय उच्च न्यायालय मुख्य पीठ जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत डीबी सिविल रिट पिटिशन (पीएलाआई) नं. 4137/2019 जिसका निर्णय दिनांक 22.5.19 को पारित हुआ जिसकी पालना में माननीय जिलाधीश महोदय नागौर के समक्ष पुराने नक्शा के अनुसार नये सिरे से माप करने का आग्रह किया गया, जिस पर जिलाधीश नागौर द्वारा प्रकरण उपखण्ड अधिकारी डेगाना को आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाया गया। उपखण्ड अधिकारी डेगाना द्वारा अपने पत्रांक 1392-93 दिनांक 2.8.19 को तहसीलदार डेगाना के कार्यालय को नये नक्शे के स्थान पर पुराने के आधार पर नाप करवाने की नियमानुसार कार्यवाही कर अवगत करवाने के निर्देश दिये, इसके बावजूद तहसीलदार डेगाना द्वारा उसकी पालना करवाना तो दूर, बेदखली की गैर कानूनी कार्यवाही हाजा अमल में लायी गयी व बिना किसी आधार के अपीलांट को अतिक्रमी घोषित करते हुए निर्णय जैर अपील पारित करने में भारी कानूनी व वाकियाति त्रुटि की है।

{2}(IV)—तहसीलदार डेगाना ने उपखण्ड अधिकारी डेगाना का आदेश पुराने नक्शा अनुसार नाप चोप का था, जिस पर आज दिन तक कोई कार्यवाही नहीं की है व कानूनी प्रक्रिया को ताक में रख कर कुछ व्यक्ति विशेष नरसीराम, खीवराज, रामदेव, खेमराम वगैरा के प्रभाव में आकर उनको नाजायज फायदा पहुंचाने की नियत से कार्यवाही हाजा अमल में लायी जाकर निर्णय जैर अपील विधि विरुद्ध ढंग से पारित किया गया है। जबकि रास्ते पर अवरोध अतिक्रमण बाबत अन्य किसी प्रकार राहगीर व काश्तकारों या ग्रामीणों की कोई शिकायत कभी नहीं रही है।

{2}(V)—अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह भी स्पष्ट कर दिया कि इस संबंध में बाजिया परिवार के ही भंवरलाल पुत्र केशाराम जाट निवासी माण्डलजोधा द्वारा सिविल न्यायालय डेगाना में वाद पेश किया जो विचाराधीन है। उक्त वाद में न्यायालय द्वारा नियुक्त मौका कमीश्नर ने मौका निरीक्षण कर मौका रिपोर्ट तैयार कर सिविल न्यायालय में पेश की जिसमें उक्त सड़क के नजदीक में दक्षिणी तरफ किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं बताया है तथा उक्त सिविल वाद में तहसीलदार डेगाना पक्षकार भी है। तहसीलदार डेगाना के समक्ष जब यह स्थिति स्पष्ट कर दी गयी कि उक्त जमीन के संबंध में सक्षम सिविल न्यायालय व उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय में दावे व कार्यवाहियां विचाराधीन हैं तथा उनमें तहसीलदार डेगाना स्वयं पक्षकार है व उन सिविल वाद व कार्यवाहियों का अंतिम निस्तारण नहीं हुआ है। वैसी सूरत में तहसीलदार डेगाना को ऐसा निर्णय उसी विवादित आराजी के संबंध में पारित करने का कोई अधिकार नहीं था। न है इसके बावजूद भी तहसीलदार ने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर सभी विधिक प्रावधानों की अनदेखी करते हुए निर्णय जैर अपीली पारित करने में विधिक त्रुटि की है।

{2}(VI)—गांव माण्डलजोधा में कथित सड़क पुराने कटाणी रास्ता जहां चलता था। वही पर बनी हुई है तथा सिविल न्यायालय में प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में भी सड़क उसी स्थान पर होना व दोनों तरफ काफी खुली जगह होना दर्शाया हुआ है। इन सभी परिस्थितियों में अपीलांट को बिना किसी आधार के अतिक्रमी

घोषित कर बेदखली व जुर्माना से दण्डित करना कतई न्याय संगत नहीं होते हुए भी तहसीलदार डेगाना ने वास्तविक राजस्व नक्शों का अवलोकन किये बिना व अपने स्तर पर मौका जांच किये बिना व उपखण्ड अधिकारी व जिलाधीश के पत्रांक व आदेश को नजरअंदाज करते हुए विधिक प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए निरंकुश निर्णय जैर अपील पारित किया है। जो खारिज किये जाने योग्य है।

{2}(VII)—अपीलांट का किसी भी प्रकार का कोई कब्जा अतिक्रमण मौके पर न तो था न है मौके पर कटाणी रास्ता खसरा नं. 183 का पटवारी ने विधिवत नाप चोप नहीं किया है व नक्शा दुरुस्ती की कार्यवाही चल रही है। सिविल न्यायालय में राज्य सरकार/तहसीलदार डेगाना के विरुद्ध कार्यवाही करने से नाराज होकर दबाव बनाने के लिये यह मिथ्या कार्यवाही कर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है। जो अपास्त किये जाने योग्य है। उक्त सडक के दक्षिणी तरफ एक ही सीध में जो बाड़े काश्तकारों के बने हुए हैं। उनके चिपते ही दक्षिण में जिनका खेत आया हुआ है। वे सडक के चिपता आने चाहते हैं। इसलिये पटवारी से सांठ गांठ कर यह मिथ्या कार्यवाही करवायी गयी है। इन परिस्थितियों में निर्णय जैर अपील विधि विरुद्ध व निरंकुश निर्णय की तारीफ में आने से निरस्तनीय है।

{2}(VIII)—अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय जैर अपील में निर्णय का आधार कथित टीम द्वारा नाप चोप करना बताया है। जबकि मुख्य विवाद यह रहा है कि कटाणी रास्ता जो खसरा नं. 183 जो पूर्व राजस्व नक्शा में जिस स्थान पर था उसी स्थान पर आज दिन सडक बनी हुई है व नये नक्शा में सडक को वास्तविक स्थान पर नहीं दर्शा कर तकनीकी त्रुटिवश या किसी मिलावटी ढंग से वास्तविक स्थान से हट कर नक्शा में अंकन हो रखा है। उसी त्रुटिवश गलत बने गये नक्शे में आधार पर ही कथित टीम की नाप चोप रिपोर्ट को निर्णय जैर अपील का आधार बनाकर निर्णय पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय ने भारी कानूनी त्रुटि की है। इस प्रकार प्रकरण हाजा में विवाद केवल पुराने व नये राजस्व नक्शा में दुरुस्तीकरण का है। इसके बावजूद एक समूह विशेष के लोगो के अनुचित दबाव व प्रभाव में आकर अनावश्यक रूप से 91 की कार्यवाही की गयी है। जबकि नक्शा दुरुस्ती की कार्यवाही चल रही है। नक्शा दुरुस्त होने पर कथित विवाद स्वतः समाप्त हो सकता था व हो सकता है। इसके बावजूद ऐसा नहीं करके अनावश्यक रूप से तंग परेशान करने हेतु निर्णय जैर अपील विधि विरुद्ध पारित किया गया है।

{2}(IX)—वकील अपीलांट द्वारा बहस जारी रखते हुए आगे तर्क दिया कि मौजा माण्डलजोधा के खसरा नं. 179 रकबा 19.02 बीघा भूमि हरदीन, शिवकरण पिता डूंगा जाट की खातेदारी में रहती आयी है। जिसमें से 3.15 बीघा भूमि संवत् 2031-34 की जमाबंदी के दौरान बिना किसी नामान्तरकरण अथवा सक्षम आदेश के सरकारी भूमि दर्ज कर दी तथा इस भूमि पर डामर सडक भी बन गई है। उनके द्वारा हमारा ध्यान मिलान क्षेत्रफल संवत् 2065 से 2084 की ओर दिलाते हुए तर्क दिया कि साबिका खसरा नं. 179 रकबा 0.83 हैक्ट. के नये खसरा नं. 171, साबिका खसरा नं. 179/1 रकबा 0.61 हैक्ट. के नये खसरा नं. 172, साबिका खसरा नं. 179/2 रकबा 0.73 हैक्ट. के नये खसरा नं. 173, साबिका खसरा नं. 179/3 रकबा 0.1 हैक्ट. के नये खसरा नं. 174, साबिका खसरा नं. 179/3 मिन रकबा 0.92 हैक्ट. के नये खसरा नं. 175 बने हैं। जिनका कुल क्षेत्रफल 19.02 बीघा ही बनता है। इनमें से वर्तमान खसरा नं. 171, 173, 174, 175 अपीलांट व अन्य भाईयों की खातेदारी में दर्ज किये गये हैं। जबकि खसरा नं. 172 रकबा 0.61 हैक्ट. गै.मु. सडक दर्ज कर दी गई है। जबकि वास्तविक रूप से यह भूमि बिना किसी सक्षम आदेश के गै.मु. दर्ज किये जाने से राजकीय भूमि नहीं होकर अपीलांट व उनके भाईयों की खातेदारी भूमि का हिस्सा होने से उन्हें इस भूमि पर अतिक्रमी नहीं माना जा सकता है। उनके द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि राजकीय भूमि खसरा नं. 172 में डामर सडक बन जाने के पश्चात भी काफी जगह खुली पड़ी होना, सडक के सहारे की भूमि खातेदारान की होने के बावजूद सडक के रकबे में दर्ज किये जाने, नवीन खसरा नं. 172 पर सडक दर्ज किये जाने के संबंध में नामान्तरकरण दर्ज नहीं होना व राजस्व कर्मचारियों से संहवन से भूलवश उक्त इन्द्राज किये जाने के तथ्य तहसीलदार ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डेगाना के न्यायालय में चल रहे वाद सं. 23/2017 बुधाराम बनाम राज्य सरकार व अन्य में जवाब दिनांक 9.6.20 में स्वीकार किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को आराजी भूमि पर अतिक्रमी नहीं माना जा सकता है।


{3}—राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि मौजूदा राजस्व रेकर्ड में आराजी खसरा नं. 172 गै.मु. सडक राजकीय भूमि दर्ज है तथा यदि त्रुटिवश भी खातेदारी से रकबा कम कर सडक दर्ज कर दिया गया हो तो इस हेतु अपीलांट को नियमित न्यायालय द्वारा ही अनुतोष दिया जा सकता है। वर्तमान में भूमि राजकीय खाते में दर्ज होने से उस पर काबिज व्यक्ति पर राजस्थाना भू राजस्व अधिनियम, 1956 की

धारा 91 के तहत कार्यवाही की गई है। अपीलांत द्वारा मौजा माण्डलजोधा में स्थित गै.मु. सडक भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांत को नोटिस जारी किया गया। अपीलाधीन आदेश में अपीलांत को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

[4]— उभयपक्ष के वकूलाय की बहस पर मनन किया गया। पटवारी हल्का की अतिक्रमण रिपोर्ट में आराजी भूमि वाके माण्डलजोधा के खसरा नंबर 172 गै.मु. सडक भूमि पर अपीलांत का अतिक्रमण किया जाना अभिलेख से पाया गया। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्त को विधिवत नोटिस दिया गया है। अपीलांत का अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होना अभिलेख से साबित भी है। आराजी भूमि की किस्म गै.मु. सडक है। अपीलांत द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबंदी संवत 2017-20 के अनुसार खसरा नं. 179 रकबा 19.02 बीघा भूमि हरदीन, शिवकरण पुत्र डूंगा जाट की खातेदारी में दर्ज है। इसी भूमि में से हाल खसरा नं. 172 रकबा 0.61 हैक्ट. गै.मु. सडक के रूप में दर्ज हुआ है। उक्त भूमि को लेकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डेगाना में राजस्व वाद सं. 23/2017 बुधाराम बनाम सरकार अधीन धारा 88, 89, 91, 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत लंबित है। जिसमें तहसीलदार द्वारा अपने जवाब दिनांक 9.6.2020 में नवीन खसरा नं. 172 सडक दर्ज करने का इन्द्राज का कोई नामान्तरकरण दर्ज नहीं हुआ तथा भूलवश इन्द्राज किया जाना व सडक के सहारे की भूमि खातेदारान की होने के बावजूद सडक के रकबे के रूप में दर्ज किये जाने के तथ्य को स्वीकार भी किया गया है। वही तहसीलदार द्वारा इसी भूमि पर अपीलांत को अतिक्रमी मानते हुए राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत बेदखली व जुर्माने से संबंधित आदेश पारित किये गये हैं, जो एक दूसरे के विरोधाभासी प्रकट होते हैं। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

[5]— उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलांत की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश जैर अपील अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त ऑब्जरवेशन को ध्यान में रखते हुए अपीलांत को नोटिस देकर शहादत, सबूत तथा सुनवाई का पर्याप्त अवसर देते हुए गुणावगुण पर ताजा आदेश पारित करे।

[6]— निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(मनोज कुमार)
अपर कलेक्टर,
नागौर